न्याया. श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

सम्भाग रीवा
जिला सतना

निग / 3355/II/15

सुखरतिया बेवा झगडू चमार साकिन इचौल, तहसील उचेहरा, जिला सतना म0प्र0..निगरानीकर्ता

बनाम

1— संतभान पिता गोपालदास चमार साकिन इचौल, तहसील उचेहरा, जिला सतना म.प्र.।

2— शासन म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी राजस्व निरीक्षक उचेहराके
राजस्व प्रकरण क. 11A/2/2014-15
आ0दि0 30/06/2015 व नक्शा तरमीम
निगरानी धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की निगरानी हस्य जेल हैं। निगरानी का संक्षिप्त इस प्रकार हैं :—

1) यह कि ग्राम इचौल की आ.नं. 1371/2/6 रकवा 0.523हे0 की खातेदार भूमि स्वामी निगरानीकर्ता हैं। इसी प्रकार आ.नं. 1346/2 रकवा 0.500हे0 का मालिक स्वामी खातेदार गैरनिगरानीकर्ता हैं।

2) यह कि निगरानीकर्ता को आ.नं. 1371/2/6 रकवा 0.523हे0 अर्सापूर्व म0प्र0 शासन बंटन के तहत तहसीलदार उचेहरा द्वारा निगरानीकर्ता को प्राप्त हुई थी। जिसमें तहसीलदार उचेहरा द्वारा निगरानीकर्ता को बंटन समय में निगरानीकर्ता की भूमि का सीमांकित कर निगरानीकर्ता को कब्जा दखल कृषि कास्तकारी हेतु दी गई थी।

3) यह कि गैरनिगरानीकर्ता क. 01 द्वारा दिनांक 22/05/2015 को गैरनिगरानीकर्ता क. 01 की आ.नं. 1346/2 का सीमांकन मौके से किया

कमशः 2 पर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3355/II/15 जिला सतना

रतिया सेतराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-01-16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एल०एस० शर्मा उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण के संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। मुताबिक संलग्न अभिलेख भूमि सर्वे क्रमांक 1371/2/6 रकबा 0.523 हे० की भूमि स्वामी आवेदिका सुश्री रतिया है तथा सर्वे क्रमांक 1346/2 रकबा 0.500 है० का भूमि स्वामी अनावेदक है अनावेदक द्वारा अपने सर्वे क्रमांक 1346/2 के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक उचेहरा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर दिनांक 22-5-15 को सीमांकन कार्यवाही की गई, जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्र०क्र० 11/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 30-6-15 से की गई है जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। सीमांकन दिनांक 22-5-15 से संबंधित अभिलेख सूचना पत्र दिनांक 20-5-15 एवं स्थलपंचनामा दिनांक 22-5-15 तथा सीमांकन	

[कृ. प. उ.

R. 3355/11/15

(निरंतर)

स्थान तथा दिनांक	पुलिसियां कार्यवाही तथा आदेश (निरंतर)	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-1-16	प्रतिवेदन का अवलोकन करने से पाया गया कि सूचना पत्र दिनांक 20-5-15 में आवेदिका रतिया का नाम नहीं है और न ही उसके हस्ताक्षर है इससे स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही हेतु आवेदिका को सूचित नहीं किया गया। इसी प्रकार स्थल पंचनामा दिनांक 22-5-15 पर भी आवेदिका के हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि आवेदिका को बिना सूचना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है जो संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि सर्वे क्रमांक 1346 की बन्दोबस्ती मेंढ़ को स्थाई सीमाचिन्ह मान कर सीमांकन किया गया है जबकि किसी सर्वे क्रमांक की मेंढ़ को सीमाचिन्ह मान कर सीमांकन सही नहीं किया जा सकता क्योंकि खेतों की मेंढ़ जुताई आदि के कार्यों के दौरान घटती-बढ़ती रहती है ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन त्रुटिपूर्ण है जबकि सीमांकन हेतु स्थाई बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह जैसे ग्राम सीमा, कामुनारा, कुआ, सड़क, नहर आदि को स्थाई सीमाचिन्ह मान कर सीमांकन किया जाना चाहिए था। सीमांकन प्रतिवेदन में यह अंकित तथ्य कि अनावेदक के सीमांकन हेतु आवेदित आराजी 1346/2 के सम्पूर्ण रकबे पर आवेदिका का कब्जा होना प्रतिवेदित किये जाने से यह स्पष्ट है कि आवेदिका सीमांकित सर्वे क्र० 1346/2 की सरहदी काश्तकार है।	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3355/II/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	उबलिया कार्यवाही तथा आदेश (नरमान)	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदिका का सरहदी काश्तकार होने के कारण उसे सीमांकन कार्यवाही से पूर्व विधिवत सूचना पत्र देकर उसकी उपस्थिति में सीमांकन किया जाना चाहिए था, जिसका अभाव इस प्रकरण में परिलक्षित हो रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की पुष्टि आदेश दिनांक 30-6-15 से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को सुना जाना भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक का प्रक्र० 11/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 30-6-15 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे स्थाई बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह जैसे ग्राम सीमा का मुनारा, कुआ, सड़क, नहर आदि को सीमाचिन्ह मान कर समस्त हितबद्ध पक्षकारों तथा सीमावर्ती कृषकों को सूचना देकर विधिवत उनकी उपस्थिति में संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में सीमांकन की कार्यवाही पुनः तीन माह में पूर्ण की जावे। उक्त निर्देशों के साथ निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति तह० को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा०रि० हो। 5.1.16 सदस्य	

[कृ. प. उ.